न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:– 06/2019 — दर्ज दिनांक 24.07.2019

जी सी एम एस न0 2019/00417 — निर्णय दिनांक 14.07.2022

1. कपूरी उर्फ सावत्री पुत्री स्वर्गीय सोनाराम उम्र 41 साल जाति गुर्जर निवासी हाल अडवाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रवणी देवी पत्नी स्व0 सोनाराम उम्र 66 साल
2. मुकेश कुमार पुत्र सोनाराम उम्र 33 साल
3. ताराचन्द पुत्र सोनाराम उम्र 31 साल
4. मोहनी पुत्री सोनाराम उम्र 46 साल
5. धोली पुत्री सोनाराम उम्र 36 साल

   समस्त जाति गुर्जर निवासी हाल अडवाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
6. ग्राम पंचायत जहाज जरिये सरपंच।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 19.01.2006 द्वारा संरपच, ग्राम पंचायत जहाज बाबत।

निर्णय

दिनांक 14.07.2022

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 19.01.2006 द्वारा संरपच, ग्राम पंचायत जहाज बाबत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अडवाना की सरहद में भूमि खसरा न0 नया 312, 86, 134, 297अवस्थित है। जिसका मूल खातेदार सोना पुत्र साधु अपीलार्थी का पिता था प्रस्तुत सोना पुत्र साधु सन 2005 में फौत हुआ था, तथाकथित सोना पुत्र साधु की मृत्यु के बाद उपर वर्णित भूमि में मृतक सोना पुत्र साधु की खातेदारी भूमि का बाला बाला रू॰ से नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 19.01.2006 को सरपंच ग्राम पंचायत जहाज द्वारा स्वीकार किया गया, तथाकथित नामान्तकरण बाबत अपीलार्थी को कोई सूचना अथवा नोटिस नही दिया गया, तथाकथित नामान्तकरण की जानेकारी होने के बाद अपीलार्थी ने सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश किया, इसके बाद अपीलान्ट ग्राम पंचायत जहाज द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 94 दिनांक 19.01.2006 से व्यथित होकर अपील यह अपील अपीलान्ट सेवामे पेश की।हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार स्वर्गीय सोना [illegible] की खातेदारी भूमि को उपर वर्णित वंशावली के अनुसार समहिस्से में [illegible] अधिकारी है। इसी अनुरू॰ नामान्तकरण तस्दीक होना उचित था हिन्दू उत्तराधिकार [illegible] नियम 1956 में वर्णित प्रावधानो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:33 IST
Reason: SelfAttested

के विपरीत जाकर न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विरीत प्रस्तुत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जो खारिज होने योग्य है तथा प्रस्तुत भूमि के अलावा अन्य भूमि खसरा न0 209 का नामानतकरण संख्या 105 भी स्वर्गीय सोना पुत्र साधु की मृत्यु के बाद अंकित किया गया था।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हे कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 19.01.2006 द्वारा संरपच, ग्राम पंचायत जहाज खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जाकर पुन सुनवाई हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रेषित किया जाना प्रार्थनीय है। अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

रेस्पोडेन्ट न0 1 लगायत 5 ने जरिये वकिल जबाब अपील का पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि ग्राम अडवाना की सरहद में अवस्थित है। स्वीकार है सोना फोत होना स्वीकार लेकिन वर्ष जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। सोना की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 19.01.2006 को दर्ज होना स्वीकार है। लेकिन उक्त नामानतकरण की सुचना अपीलार्थी को नामान्तकरण के रोज से ही जानकारी थी। तथा सोंनाराम के देहानत हुंआ उस समय रेस्पोडेन्ट मुकेश व ताराचन्द बच्चे थे। जिनको राजस्व रिकार्ड की जानकारी भी नही थी अपीलान्ट कपूरी रेस्पोडैन्ट मोहनी व धाली ने ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि हमने उक्त भूमिया हकत्याग रेस्पोडैन्ट मुकेश, ताराचन्द, व श्रवणी देवी के पक्ष में हकत्याग कर दिया हे। तब पंचायत व हल्का पटवारी ने पूरी छान बीन व मौके स्थिति पर कब्जा काश्त देखते हुये रेस्पोडेन्ट मुकेश, ताराचन्द, श्रवणी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया उक्त राजस्व रिकार्ड दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट धोली, मोहनी व अपीलान्ट पूर्णतया सहमत थी तथा अपीलानट की स्वीकृति थी । अपीलान्ट ने एक वाद पत्र मुकदमा न0 224/18 कपूरी उर्फ सावत्री बनाम श्रवणी आदि घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा व एक प्रार्थना पत्र मुकदमा न0 226/2018 अस्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 20.08. 2018 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था प्रशनगत भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। अत अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोडेन्ट न0 6 बावजूद तामिल सूचना के व बार– बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अपील श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया अपील को स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 19.01.2006 द्वारा संरपच, ग्राम पंचायत जहाज खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जाकर पुन सुनवाई हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रेषित किया जना प्रार्थनीय है। बहस में रेस्पोडेन्ट वकिल ने जबाब अंकित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट मोहनी व धोली की सहमति से उक्त राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट मुकेश, ताराचन्द, श्रवणी के नाम दर्ज हुआ था । अपीलान्ट कपूरी व रेस्पोडैन्ट मोहनी व धोली के अपना हिस्सा का हकत्याग रेस्पोडेन्ट मुकेश तराचन्द श्रवण के पक्ष में कर दिया था तथा इन की सहमति से राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ था। अपीलान्ट ने नामानतकरण की कोई अपील नही की। रेस्पोडेन्ट 5 ... भूमि का बेचान कमलेश देवी को कर दिया जिसको उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया अत अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:33 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने ग्राम अडवाना की सरहद मे भूमि खसरा न0 नया 312, 86, 134, 297 सम्पूर्ण भूमि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट न0 1 लगायत 5 के विरासतन की भूमि है। अपीलांटस मृतक सोनाराम की पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्री का कानूनी हक एवं अधिकार उसके पिता की पैतृक संपति में रहता है। उक्त भूमि बाबत नामानतकरण संख्या 94 ग्राम पंचायत सरपंच ,द्वारा तस्दीक किया गया । उक्त नामान्तकरण न. 94 पर ग्राम पंचायत जहाज का आदेश दिनांक 19.01.2006 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जहाज सरपंच द्वारा दिनांक 19.01.2006 को विधि विरूद्व रूप से नामानतकरण संख्या 94 तस्दीक किया गया को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रकरण को विधिवत सुनकर पुनः नामांतकरण की कार्यवाही करे।

14.7.22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.7.22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:33 IST
Reason: SelfAttested